न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 3/2022 **दायर दिनांकः 01/02/2022**

उनवान

1. आलेक्स आइवन आयु 27 वर्ष पुत्र आइवन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां हाल जय हिन्द नगर । बारां रोड कोटा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 21/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद पटवार हल्का अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 19 का ख0नं0 161/1027 का रकबा 0.16 है0, ख0 नं0 162 का रकबा 0.98 है0, ख0नं0 195 का रकबा 1.14 है0, ख0 नं0 206 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 का रकबा 2.10 है0, ख0 नं0 288 का रकबा 2.10 है0, ख0नं0 288/962 का रकबा 2.26 है0, ख0 नं0 289 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 33/985 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0, ख0 नं0 715 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 731 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 आबादी, ख0नं0 879 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 14 का रकबा 12.63 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का घर पर बोलता नाम मोहित होने के कारण प्रार्थी का नाम आलेक्स आइवन के स्थान पर मोहित गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, 10वी की

अंकतालिका, ग्राम पंचायत अर्डान्द के प्रमाण पत्र में सही नाम आलेक्स आइवन दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम आलेक्स आइवन दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी की आयु 27 वर्ष है जो बालिग हो चुका है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी को नाबालिग दर्ज किया जावे। बिना सहायाता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम आलेक्स आइवन दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम आलेक्स आइवन दर्ज किया जावे प्रार्थी की आयु 27 वर्ष है जो बालिग हो चुका है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम आलेक्स आइवन व नाबालिग से बालिग दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित क्रम संख्या 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पिपलोद मुताबिक जमाबन्दी की आराजी खाता संख्या 19 के ख0नं0 161/1027 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 162 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 195 रकबा 1.14 है0, ख0नं0 206 रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 रकबा 2.10 है0, ख0न0 288 का रकबा 2.10 है0, ख0नं0 288/962 का रकबा 2.26 है0, ख0 नं0 289 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 33/985 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0, ख0 नं0 715 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 731 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 879 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 14 का रकबा 12.63 है0 भूमि खातेदार मोहित पुत्र आईवन हिस्सा 1/15 जाति ईसाई के खाते दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र में वर्णित क्र0सं0 2 में अंकित कथन

के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट जमाबन्दी ग्राम पिपलोद के उक्त ख0नं0 कुल किता 14 रकबा 12.63 है0 दर्ज है। भूमि में नामा0 सं0 126 से प्रार्थी का नाम मोहित नाबालिग पुत्र आईवन दर्ज हुआ। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अर्डान्त, ड्राईविंग लाईसेंस एवं दसवीं की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम एलेक्स पुत्र अनिल आईवन दर्ज है। एवं प्रार्थी एलेक्ट आईवन वर्तमान में बालिग हो चुका है। वाद पत्र में वर्णित क्र.सं0 3 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर उक्त ख0नं0 खाता संख्या 19 कुल किता 14 रकबा 12.63 है0 दर्ज है। भूमि में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम एलेक्स आईवन पुत्र अनिल आईवन को बालिग दर्ज किया जाना उचित होगा। वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित कथन न्यायिक है। साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मोहित के स्थान पर सही नाम आलेक्स आइवन व नाबालिग से बालिग दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 19 किता 14 रकबा 12.63 है0 भूमि में सहखातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम नाबालिग मोहित पुत्र आइवन संरक्षक वली माता हिस्सा 1/15 दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम आलेक्स इवान पुत्र अनिल आइवन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार, सागर की 10 वी अंक तालिका में आलक्स आईवन पुत्र अनिल आईवन तथा जन्म दिनांक 24.02.1995 दर्ज है। ड्राईविंग लाईसेन्स में आलेक्स आईवन पुत्र अनिल आईवन दर्ज है। ग्राम पंचायत अर्डान्द के ग्राम विकास अधिकारी के प्रमाण पत्र दिनांक अनुसार मोहित एवं ऐलेक्स दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा इसके पिता का नाम आईवन है।

5. प्रार्थी का सही नाम दर्ज करना तथा अंकतालिका में अंकित जन्म दिनांक अनुसार प्रार्थी बालिग हो चुका है जिसे राजस्व रिकार्ड में बालिग दर्ज किया जाना उचित होगा । न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 19 का ख0नं0 161/1027 का रकबा 0.16 है0, ख0 नं0 162 का रकबा 0.98 है0, ख0नं0 195 का रकबा 1.14 है0, ख0 नं0 206 का रकबा 2.98 है0, ख0नं0 280 का रकबा 2.10 है0, ख0 नं0 288 का रकबा 2.10 है0, ख0नं0 288/962 का रकबा 2.26 है0, ख0 नं0 289 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 290/1064 का रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 33/985 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 585 का रकबा 0.34 है0, ख0 नं0 715 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 731 का रकबा 0.05 है0 गै0मु0 आबादी, ख0नं0 879 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 14 का रकबा 12.63 है0 में सहखातेदार प्रार्थी मोहित पुत्र आईवन के स्थान पर आलेक्स आइवन उर्फ मोहित पुत्र अनिल आईवन दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। अंक तालिका में अंकित जन्म दिनांक अनुसार प्रार्थी बालिग हो चुका है अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी को बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां